प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 25.08.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: मासूम की हत्या व कुकर्म के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

06 वर्षीय बालक की हत्या के जघन्य मामले में किशोर अपचारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹01 लाख अर्थदण्ड

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना सदर बाजार पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-08, शाहजहाँपुर द्वारा किशोर अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹01 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मासूम की तलाश से शुरू हुई कार्यवाही, साक्ष्यों ने खोला जघन्य अपराध का राज

दिनांक 26.01.2019 को थाना सदर बाजार क्षेत्र निवासी वादी द्वारा अपने 06 वर्षीय पुत्र के घर से अचानक गायब होने की सूचना दी गई। परिजन द्वारा काफी तलाश किये जाने के बावजूद बालक का कोई पता नहीं चल सका। तलाश के दौरान जानकारी मिली कि बालक को किशोर अपचारी अपने घर बुलाकर ले गया था। परिजन जब किशोर अपचारी के घर पहुंचे तो वहां बिस्तर में बालक का शव छिपा हुआ मिला। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान एकत्रित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों, चिकित्सकीय साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस एवं अभियोजन की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा किशोर अपचारी को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹01 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त किशोर अपचारी का विवरण

किशोर अपचारी

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0 67/2019, धारा 377/302 भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण में किशोर अपचारी द्वारा वादी के 06 वर्षीय नाबालिग पुत्र को अपने घर बुलाकर उसके साथ कुकर्म करने तथा उसकी हत्या कर शव को अपने घर में छिपाने का आरोप था। प्रकरण में थाना पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं

अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप **माननीय न्यायालय द्वारा किशोर अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹01 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।